



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

ज्येष्ठ 15, शुक्रवार, शाके 1931-जून 5, 2009  
Jyaistha 15, Friday, Saka 1931-June 5, 2009

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये  
(सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए)

सामान्य कानूनी नियम।

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 4, 2009

जी.एस.आर. 12:—भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा के परामर्श से, राजस्थान विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान और पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन के नियतन को शासित करने वाले सिद्धान्त विहित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

राजस्थान विधान सभा सचिवालय कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतनमान)  
नियम, 2009

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा सचिवालय कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2009 है।

(2) ये 1 सितम्बर, 2006 को और से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. लागू होना.— ये नियम राजस्थान विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किये गये व्यक्तियों पर लागू होंगे, किन्तु निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:—

(क) वह व्यक्ति, जो सरकार के पूर्णकालिक नियोजन में नहीं है;

(ख) वह व्यक्ति, जिसे आकस्मिकता निधि में से भुगतान किया जाता है;

- (ग) वह व्यक्ति, जो संविदा पर नियोजित है;
- (घ) वह सरकारी कर्मचारी, जिसे चाहे अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर या अन्यथा सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियोजित किया गया था और जो एक 01-09-2006 को या उसके पश्चात् सेवा में था;
- (ङ) वह व्यक्ति, जो कार्य-प्रभारित आधार पर नियोजित किया गया है; और
- (च) वह व्यक्ति, जिसे राज्यपाल द्वारा, इन नियमों के उस पर लागू होने से विनिर्दिष्ट रूप से पूर्णतः या अंशतः अपवर्जित रखा जाये।

3. **नियमों का शिथिलीकरण.**—जहां राज्यपाल का यह समाधान हो जाये कि इन नियमों में के किसी भी नियम के प्रवर्तन से किसी मामले-विशेष में असम्यक् कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्यपाल उस नियम की अपेक्षाओं की ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें उस मामले में न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण रीति से निपटाये जाने के लिए आवश्यक समझे, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेंगे।

4. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो वह सरकार के वित्त विभाग के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

5. **परिभाषाएं.**— जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,—

- (i) "मूल वेतन" से चालू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में के वेतन की राशि अभिप्रेत है, किन्तु इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन आदि सम्मिलित नहीं है;
- (ii) "विद्यमान मूल वेतन" से विद्यमान वेतनमान में आहरित वेतन अभिप्रेत है, किन्तु इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन आदि सम्मिलित नहीं है;
- (iii) "विद्यमान वेतनमान" से ऐसा वेतनमान अभिप्रेत है जो, इन नियमों के प्रभाव में आने के सिवाय सरकारी कर्मचारी पर उस पद के संबंध में लागू होता है जिसे उसने दिनांक 1 सितम्बर, 2006 से

ठीक पूर्व किसी स्थायी पद पर धारणाधिकार रखते हुए अधिष्ठायी रूप से या स्थानापन्न रूप से अथवा अस्थायी हैसियत से धारण कर रखा है।

**स्पष्टीकरण:**(क) ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में, जो भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर है या छुट्टी पर है या अन्यत्र सेवा में है या यदि वह किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं कर रहा होता तो एक या अधिक निम्नतर पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा होता, "विद्यमान वेतनमान" में ऐसा वेतनमान सम्मिलित है जो उस पद पर लागू होता है जिसे वह, यदि उसकी प्रतिनियुक्ति भारत से बाहर नहीं हुई होती या वह छुट्टी पर नहीं होता या अन्यत्र सेवा में नहीं होता या किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं कर रहा होता तो धारण कर रहा होता।

(ख) ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में, जो 31-08-2006 को समय-समय पर यथासंशोधित राजस्थान विधान सभा सचिवालय कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998 से भिन्न किसी वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहा हो, इन नियमों में उसका वेतन नियतन तब ही किया जायेगा जब कि 31-08-2006 को उसके द्वारा धारित पद के संबंध में उसका वेतन समय-समय पर यथासंशोधित राजस्थान विधान सभा सचिवालय कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998 के अनुसार नियत कर दिया गया है;

(iv) "विद्यमान सरकारी कर्मचारी" से ऐसा सरकारी कर्मचारी अभिप्रेत है जो 1 सितम्बर, 2006 को सेवा में है और विद्यमान वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहा है।

**स्पष्टीकरण:** ऐसा सरकारी कर्मचारी, जिसकी नियुक्ति इन नियमों के अधीन के वेतनमान में 01-09-2006 को या उसके पश्चात् की गयी थी, विद्यमान सरकारी कर्मचारी नहीं है। वह इन नियमों के अधीन अपने पद पर लागू चालू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में वेतन आहरित करेगा। राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 से संलग्न अनुसूची-III में दी गयी वेतन-नियतन सारणियाँ, जिसे इन नियमों के नियम 10 के अधीन अंगीकार किया गया है, उस पर लागू नहीं होगी। ऐसा सरकारी कर्मचारी, जिसे 01-09-2006 को या उसके पश्चात् नियुक्त किया गया था, सुसंगत सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार परिवीक्षाकाल की सफलतापूर्वक समाप्ति के पश्चात् चालू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के न्यूनतम पर नियत किया जायेगा;

- (v) "वित्त विभाग" से राजस्थान सरकार का वित्त विभाग अभिप्रेत है;
- (vi) "ग्रेड वेतन" से अनुसूची-I के अनुभाग 'क' के स्तम्भ 6 में विनिर्दिष्ट ग्रेड वेतन अभिप्रेत है;
- (vii) "चालू वेतन बैंड में वेतन" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है खण्ड (viii) में यथा परिभाषित पुनरीक्षण पूर्व की परिलब्धियाँ जो 10 के अगले गुणज तक पूर्णांकित हों;
- (viii) "पुनरीक्षण पूर्व की परिलब्धियाँ" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है:—
  - (क) विद्यमान वेतनमान में 1 सितम्बर, 2006 को मूल वेतन,
  - (ख) वैयक्तिक वेतन, यदि कोई हो, किन्तु राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 ख के अधीन मंजूर वैयक्तिक वेतन को छोड़कर, जहां कोई सरकारी कर्मचारी विद्यमान वेतनमान के साथ 01-09-2006 को ऐसा वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर रहा है,

- (ग) 01-09-2006 को, प्रवृत्त दरों पर मूल वेतन का 50 प्रतिशत महंगाई वेतन जो आदेश सं.एफ 6(3)एफडी (रूल्स)/2004 दिनांक 24-05-2004 द्वारा मंजूर किया गया है, और
- (घ) मूल वेतन और महंगाई वेतन पर 24 प्रतिशत महंगाई भत्ता।

**टिप्पण:** जहां विद्यमान वेतनमान में वेतन वृद्धि की सामान्य तारीख 01-09-2006 को पड़ती हो, वहां चालू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में वेतन, वेतनवृद्धि सहित 01-09-2006 को विद्यमान वेतनमान में अनुज्ञेय वेतन के आधार पर नियत किया जायेगा;

- (ix) "नियमित सेवा" से किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा, उस पद के लिए सुसंगत भर्ती नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् दी गयी सेवा अभिप्रेत है। तदर्थ आधार/अर्जेंट अस्थायी आधार पर दी गयी सेवा की कालावधि को नियमित सेवा के रूप में नहीं गिना जायेगा।
- (x) "पुनरीक्षित परिलब्धियां" से किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में वेतन अभिप्रेत है;
- (xi) "चालू वेतन बैंड" से अनुसूची-I के अनुभाग 'क' के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट वेतन बैंड अभिप्रेत है;
- (xii) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है; और
- (xiii) "अध्यक्ष" से राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

6. पद का वेतनमान.—(1) इन नियमों के प्रारंभ से, प्रत्येक पद, सेवा/संवर्ग के लिए चालू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन वे होंगे जो अनुसूची-I के अनुभाग 'ख' के क्रमशः स्तम्भ 5 और 7 में यथा-उपदर्शित हैं।

(2) त्रिस्त विभाग के समय-समय पर यथासंशोधित आदेश सं. एफ. 16(2)एफडी(रूल्स)/98 दिनांक 17-02-1998 के अधीन मंजूर चयन ग्रेडों में वेतन आहरित करने वाले विद्यमान सरकारी कर्मचारी और

वैयक्तिक वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए इन नियमों से संलग्न अनुसूची-I के अनुभाग 'क' के स्तम्भ 2 में विद्यमान वेतनमान के सामने क्रमशः स्तम्भ 4 और 6 में यथा-उपदर्शित तत्समान चालू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन होंगे :

परन्तु चयन ग्रेड के रूप में विद्यमान वेतनमान 8000-13500 में वेतन आहरित करने वाले विद्यमान सरकारी कर्मचारियों का वेतन, चालू वेतन बैंड पीबी-2 '9300-34800' और ग्रेड वेतन रु. 5400/- में नियत किया जायेगा।

7. चालू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में वेतन का आहरण.—(1) इन नियमों में अन्यथा यथाउपबंधित के सिवाय, सरकारी कर्मचारी उस चालू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में वेतन प्राप्त करेगा जो उस पद के लिए लागू होता हो जिसे वह 01-09-2006 को धारण कर रहा है या जिस पर वह 01-09-2006 को या उसके पश्चात् नियुक्त किया जाता है।

(2) ऐसी किसी भी सेवा/संवर्ग या पदों के वर्ग के संबंध में जिसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) के अधीन भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले कोई नियम नहीं बनाये गये हैं या जहां भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों से संलग्न अनुसूची में कोई पद सम्मिलित नहीं किया गया है/किये गये हैं वहां वित्त विभाग द्वारा या उसकी सहमति से, समय-समय पर विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव निरंतर प्रवर्तनशील रहेंगे और चालू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में ऐसी सेवा/संवर्ग या पदों के वर्ग के लिए 01-09-2006 से लागू किए हुए समझे जायेंगे।

8. विशेष वेतन.— राजस्थान विधान सभा सचिवालय कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998 की अनुसूची-II में यथा-अनुज्ञेय विशेष वेतन को विशेष भत्ते में परिवर्तित कर दिया गया है और इस प्रकार यह, किसी पद के लिए चालू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में के वेतन के साथ अनुज्ञेय नहीं होगा।

9. विशेष भत्ता.—विशेष भत्ते की दरें, जो चालू वेतन बैंडों और ग्रेड वेतन के साथ आहरित की जायेंगी, इन नियमों से संलग्न अनुसूची-II में दी गयी हैं।

10. राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 का लागू होना.—समय-समय पर यथासंशोधित राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 के नियम 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 26 में अंतर्विष्ट क्रमशः विद्यमान वेतनमान के चयन का विकल्प, विकल्प देने, विद्यमान सरकारी कर्मचारी का चालू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में प्रारंभिक वेतन नियतन, चालू वेतन बैंड में वेतनवृद्धि की दर, चालू वेतन बैंड में अगली वेतन वृद्धि की तारीख, चालू वेतन बैंड में एक वर्ष से अधिक की अधिकतम कालावधि के लिए वृद्धिरुद्ध के मामले में वेतन नियतन, विषमताओं का निराकरण, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और समस्त भत्तों, सुविधाओं, पेंशन आदि, सुविधाओं जैसे सरकारी आवास आदि, सुनिश्चित कैरियर वृद्धि स्कीम (सु.—कै. वृ.), राज्य सेवा अधिकारी के लिए सुनिश्चित कैरियर वृद्धि स्कीम (सु.—कै. वृ.), परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के लिए नियत पारिश्रमिक की रकम, 01-09-2006 को या उसके पश्चात् सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने वाले परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी का चालू वेतन बैंड में वेतन नियतन, सितम्बर, 2006 के प्रथम दिन के पश्चात् चालू वेतन बैंड में वेतन नियतन, 01-09-2006 को या उसके पश्चात् पदोन्नति पर वेतन नियतन और बकाया का प्रोद्भूत नहीं होने से संबंधित नियम, राजस्थान विधान सभा के सचिवालय कर्मचारियों पर, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

11. नियमों का अध्यारोही प्रभाव.—समय-समय पर यथासंशोधित राजस्थान सेवा नियम, राजस्थान विधान सभा सचिवालय कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998 और चयन ग्रेड मंजूर करने के संबंध में वित्त विभाग के आदेश सं. एफ.डी(रूल्स)/98 दिनांक 17-02-1998 के उपबंध, इन नियमों में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, उन मामलों पर, जहां वेतन इन नियमों के अधीन विनियमित किया जाता है, उस सीमा तक जहां तक वे इन नियमों से असंगत है, लागू नहीं होंगे।

अनुसूची I  
(नियम सं. 6)

अनुभाग क

चालू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन

विद्यमान वेतनमान सं.	विद्यमान वेतनमान	वेतन बैंड	चालू वेतन बैंड	ग्रेड वेतन सं.	ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6
1	2550-55-2660-60-3200	-1एस	4750-7440	1	1300
2	2610-60-3150-65-3540	-1एस	4750-7440	2	1400
3	2650-65-3300-70-4000	-1एस	4750-7440	3	1650
4	2750-70-3800-75-4400	पीबी-1	5200-20200	4	1800
5	2950-75-4075-80-4475	पीबी-1	5200-20200	5	1850
6	3050-75-3950-80-4590	पीबी-1	5200-20200	6	1900
7	3200-85-4900	पीबी-1	5200-20200	7	2000
8	3400-90-5200	पीबी-1	5200-20200	8	2100
9	4000-100-6000	पीबी-1	5200-20200	9	2400
9ए	4500-125-7000	पीबी-1	5200-20200	10	2800
10	5000-150-8000	पीबी-2	9300-34800	11	3200
11	5500-175-9000	पीबी-2	9300-34800	12	3600
12	6500-200-10500	पीबी-2	9300-34800	13	4200
12ए	7500-250-12000	पीबी-2	9300-34800	14	4800
13	8000-275-13500	पीबी-2	9300-34800	15	5400
13 नया	8000-275-13500	पीबी-3	15600-39100	15	5400
14	9000-300-14400	पीबी-3	15600-39100	16	6000
15	10000-325-15200	पीबी-3	15600-39100	17	6600
16	10650-350-15850	पीबी-3	15600-39100	18	6800
17	11300-350-16200	पीबी-3	15600-39100	19	7200
18	12000-375-16500	पीबी-3	15600-39100	20	7600
19	13500-400-17500	पीबी-3	15600-39100	21	8200
20	14300-400-18300	पीबी-4	37400-67000	22	8700
21	16400-450-20000	पीबी-4	37400-67000	23	8900
22	18400-500-22400	पीबी-4	37400-67000	24	10000

अनुभाग ख  
(नियम सं. 6)

पदों का चालू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन

क्र.सं.	पद का नाम	विद्यमान वेतनमान	वेतन बैंड	चालू वेतन बैंड	ग्रेड वेतन सं.	ग्रेड वेतन	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उप सचिव	12000-16500	पीबी-3	15600-39100	20	7600	
2.	संपादक, बहस/मुद्रण	11300-16200	पीबी-3	15600-39100	19	7200	
3.	मार्शल	11300-16200	पीबी-3	15600-39100	19	7200	
4.	वरिष्ठ निजी सचिव, मा. अध्यक्ष	11300-16200	पीबी-3	15600-39100	19	7200	
5.	सहायक सचिव	10000-15200	पीबी-3	15600-39100	17	6600	
6.	विधि रचना अधिकारी	10000-15200	पीबी-3	15600-39100	17	6600	
7.	निजी सचिव, सचिव	10000-15200	पीबी-3	15600-39100	17	6600	
8.	सहायक संपादक	9000-14400	पीबी-3	15600-39100	17	6600	
9.	वरिष्ठ रिपोर्टर	9000-14400	पीबी-3	15600-39100	16	6000	
10.	अनुसंधान और निर्देश अधिकारी	9000-14400	पीबी-3	15600-39100	16	6000	
11.	कार्यपालक अधिकारी	8000-13500	पीबी-3	15600-39100	15	5400	
12.	पुस्तकालय अधिकारी	8000-13500	पीबी-3	15600-39100	15	5400	
13.	अनुभागाधिकारी	6500-10500	पीबी-2	9300-34800	13	4200	
14.	सहायक अनुसंधान और निर्देश अधिकारी	6500-10500	पीबी-2	9300-34800	13	4200	
15.	वरिष्ठ निजी सहायक	6500-10500	पीबी-2	9300-34800	13	4200	
16.	वरिष्ठ विधि रचनाकार	6500-10500	पीबी-2	9300-34800	13	4200	
17.	रिपोर्टर	6500-10500	पीबी-2	9300-34800	13	4200	
18.	सहायक	5500-9000	पीबी-2	9300-34800	12	3600	

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	उप पुस्तकालयाध्यक्ष	5500-9000	पीबी-2	9300-34800	12	3600	
20.	निजी सहायक	5500-9000	पीबी-2	9300-34800	12	3600	विद्यमान
21.	शीघ्रलिपिक	5500-9000	पीबी-2	9300-34800	12	3600	शीघ्रलिपिक के पद का निजी सहायक के पद में विलयन हो जायेगा
22.	शीघ्रलिपिक		पीबी-2	9300-34800	11	3200	नये भर्ती होने वालों के लिए
23.	अनुसंधान सहायक	5000-8000	पीबी-2	9300-34800	11	3200	
24.	पुस्तकालय सहायक	5000-8000	पीबी-2	9300-34800	11	3200	
25.	अनुवादक	5000-8000	पीबी-2	9300-34800	11	3200	
26.	फोटोग्राफर	5000-8000	पीबी-2	9300-34800	11	3200	
27.	वातानुकूलन संयंत्र मैकेनिक	5000-8000	पीबी-2	9300-34800	11	3200	
28.	वरिष्ठ लिपिक	4000-6000	पीबी-1	5200-20200	09	2400	
29.	कनिष्ठ लिपिक/प्रूफ शोधक/ टेलीफोन ऑपरेटर/ टेली प्रिंटर ऑपरेटर	3050-4590	पीबी-1	5200-20200	06	1900	
30.	सुरक्षा गार्ड (केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए)	3050-4590	पीबी-1	5200-20200	06	1900	
31.	ड्राईवर	3050-4590	पीबी-1	5200-20200	06	1900	
32.	फोटो कॉपियर	2950-4475	पीबी-1	5200-20200	05	1850	
33.	लिफ्ट मैकेनिक	2950-4475	पीबी-1	5200-20200	05	1850	
34.	गार्ड	2750-4400	पीबी-1	5200-20200	04	1800	
35.	मशीन मैन	2650-4000	1एस	4750-7440	03	1650	
36.	वातानुकूलन संयंत्र हैल्पर	2650-4000	1एस	4750-7440	03	1650	

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	लिफ्ट मैन	2650-4000	1एस	4750-7440	03	1650	
38.	जमादार	2610-3540	1एस	4750-7440	02	1400	
39.	रिकार्ड लिफ्टर	2610-3540	1एस	4750-7440	02	1400	
40.	लाइब्रेरी बॉय	2610-3540	1एस	4750-7440	02	1400	
41.	दफ्तरी	2610-3540	1एस	4750-7440	02	1400	
42.	चपरासी और विद्यमान वेतनमान सं. 1 में के अन्य समतुल्य पद	2550-3200	1एस	4750-7440	01	1300	

## अनुसूची II

(नियम-9)

विशेष-भत्ता

क्र. सं.	पद का नाम	विशेष भत्ते की दर (प्रतिमास रुपयों में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4
1.	ग्रेड वेतन सं. 1 से 5 में के पद	80	विशेष भत्ता निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन स्वीकृत किया जायेगा:- 1. विशेष भत्ता संबंधित सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित पद के ग्रेड वेतन के संदर्भ में अनुज्ञेय होगा न कि उस सु.कै.वृ. के संदर्भ में जिसमें वह वेतन आहरित कर रहा हो।
2.	ग्रेड वेतन सं. 6 से 8 में के पद	100	2. विशेष भत्ता ऐसे व्यक्तियों को अनुज्ञेय नहीं होगा जो सेवा के प्रारम्भिक प्रवेश पद पर अर्जेंट अस्थायी/तदर्थ आधार पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये हैं।
3.	ग्रेड वेतन सं. 9 से 10 में के पद	120	3. शीर्ष 'सामान्य' के अधीन अनुज्ञेय विशेष भत्ता, यदि कोई हो, इस शीर्ष
4.	ग्रेड वेतन सं. 11 और 12 में के पद	150	
5.	ग्रेड वेतन	175	

1	2	3	4
	सं. 13 और 14 में के पद		के अधीन अनुज्ञेय विशेष भत्ते के अतिरिक्त होगा।
6.	ग्रेड वेतन सं. 15 और 16 में के पद	190	4. इस कार्यालय के संवर्ग के अधिकारियों/ पदधारियों को उपलब्ध विशेष भत्ता, उन्हें सरकारी विभागों में संवर्ग या संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति की कालावधि के दौरान और पुनर्नियोजन की कालावधि के दौरान भी अनुज्ञेय होगा। परन्तु अन्य सरकारों/सरकारी विभागों या अन्यत्र सेवा में प्रतिनियुक्ति की कालावधि के लिए विशेष भत्ता उस स्थिति में संदत्त नहीं किया जायेगा जब प्रतिनियुक्ति भत्ता या उच्चतर वेतन संदत्त किया जाये।
7.	ग्रेड वेतन सं. 17 और 19 में के पद	340	
8.	ग्रेड वेतन सं. 20 में के पद	525	

विधान सभा सचिवालय में माननीय अध्यक्ष/माननीय उपाध्यक्ष/प्रतिपक्ष के नेता/सरकारी मुख्य सचेतक/सरकारी उप मुख्य सचेतक के कार्यालयों में पदस्थापित कर्मचारियों को विशेष भत्ता

1	2	3	4
1	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सरकारी मुख्य सचेतक/प्रतिपक्ष के नेता/सरकारी उप मुख्य सचेतक के कार्यालयों में पदस्थापित साईकिल सवार/जमादार को सम्मिलित करते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।	85	यह विशेष भत्ता सामान्य विशेष भत्ता के स्थान पर होगा।
2.	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सरकारी मुख्य सचेतक/प्रतिपक्ष के नेता/सरकारी उप मुख्य सचेतक के कार्यालयों में पदस्थापित सहायक/वरिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ लिपिक।	150	
3.	अध्यक्ष के निजी सहायक के रूप में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ लिपिक/सहायक/शोधलिपिक/निजी सहायक।	280	

1	2	3	4
4.	उपाध्यक्ष/सरकारी मुख्य सचेतक/प्रतिपक्ष के नेता/सरकारी उप मुख्य सचेतक के निजी सहायक के रूप में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ लिपिक/सहायक/शीघ्रलिपिक/निजी सहायक।	205	
5.	उप सचिव, राजस्थान विधान सभा के ग्रेड में माननीय अध्यक्ष का निजी सचिव।	525	
6.	माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सरकारी मुख्य सचेतक/प्रतिपक्ष के नेता/सरकारी उप मुख्य सचेतक का निजी सचिव जो आर.ए. एस./आर.पी.एस. के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन आर्हति कर रहा हो।	415	
7.	माननीय उपाध्यक्ष/सरकारी मुख्य सचेतक/प्रतिपक्ष के नेता/सरकारी उप मुख्य सचेतक का निजी सचिव, उन व्यक्तियों को छोड़कर जो नियत वेतन के आधार पर नियोजित किए गये हों।	340	
8.	माननीय अध्यक्ष का निजी सचिव, उन व्यक्तियों को छोड़कर जो नियत वेतन के आधार पर नियोजित किए गये हों।	340	

**विधान सभा सचिवालय में विशेष कार्यों के लिए विशेष भत्ता**

क्र.सं.	पद का नाम	विशेष भत्ते की दर (प्रतिमास रुपयों में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4
1.	अपने स्वयं के पद के कर्तव्य के साथ-साथ मेजोक्स/फोटो स्टेट मशीन/स्केनिंग मशीन संचालित करने के लिए चतुर्थ श्रेणी/लिपिकवर्गीय/अधीनस्थ सेवा का कोई एक सदस्य।	25	सामान्य विशेष भत्ते के

1	2	3	4
2.	राजस्थान विधान सभा के समिति कक्ष में होने वाली बैठकों में उपस्थित रहने के लिए एक दफ्तरी।	10	अतिरिक्त।
3.	नकद प्रतिभूति या किसी बीमा कम्पनी से विश्वस्तता बंध-पत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित सीमा तक नकदी/भण्डार का कार्य करने वाले कर्मचारी:-  (क) खजांची के लिए  पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान संभाली गयी औसत मासिक नकदी की रकम  (i) 75,000 / -रु. तक  (ii) 75,000 / -रु. से अधिक और दो लाख रुपये तक  (iii) दो लाख रु. से अधिक और पाँच लाख रु. तक  (iv) पाँच लाख रु. से अधिक  (ख) भण्डारी के लिए वह व्यक्ति जो 75,000 / -रु. से अन्यून के औसत मासिक मूल्य का भंडार संभालता है। भंडार के औसत मासिक मूल्य की संगणना पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान के वही मूल्य के अनुसार की जानी है।	प्रतिभूति की रकम  20,000 / - 50 / -रु 25,000 / - 75 / -रु 35,000 / - 100 / -रु 50,000 / - 125 / -रु  20000 / - 50 / -रु.	

खजांची और भण्डारी को पूर्वोक्त विशेष भत्ते की मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

1. विभागाध्यक्ष को, पूर्व वित्तीय-वर्ष के औसत के आधार पर संभाली गयी नकदी या, यथास्थिति, संभाले गये भण्डार की रकम, प्रमाणित

करनी चाहिए और उस मात्रा के लिए समुचित विशेष भत्ते की दर स्वीकृत करनी चाहिए। संभाली गयी नकदी की औसत रकम रोकड़ बही में वितरित की हुई दिखायी गयी कुल रकमों में से चैकों/ड्राफ्टों आदि के रूप में वितरित मदें कम करके निकाली जानी चाहिए। बैंक के माध्यम से किये गये संव्यवहारों को छोड़ देना चाहिए। संभाले गये भंडारों का औसत मासिक मूल्य पूर्व वित्तीय वर्ष के बही मूल्य के आधार पर सत्यापित किया जाना चाहिए।

2. ऐसे प्रत्येक पदधारी को, जिसे खजांची/भण्डारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जब तक उसे सक्षम अधिकारी द्वारा इस बाबत छूट न दे दी जाये, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम जिल्द-1 के अध्याय XIX में अन्तर्विष्ट उपबंधों और समय-समय पर उसके अधीन जारी किये गये आदेशों के अनुसार सदैव प्रतिभूति प्रस्तुत करनी चाहिए।
3. विशेष भत्ता, खजांची/भण्डारी के रूप में नियुक्ति के आदेशों के जारी किये जाने की तारीख से या प्रतिभूति प्रस्तुत करने की तारीख से, जो भी बाद में हो, स्वीकृत किया जाना है। यदि विद्यमान विश्वस्तता बंध-पत्र में कोई उपान्तरण अपेक्षित हो तो विशेष भत्ता अतिरिक्त प्रतिभूति प्रस्तुत करने की तारीख से पुनरीक्षित दरों पर स्वीकृत किया जायेगा।
4. किसी कार्यालय/विभाग में एक से अधिक पदधारी को खजांची/भण्डारी के रूप में विशेष भत्ता अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए।
5. विशेष भत्ते की मंजूरी के लिए स्वीकृति सदैव उस व्यक्ति के नाम से जारी की जानी चाहिए जिसे खजांची/भण्डारी का कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाये और जिसके लिए विशेष भत्ता स्वीकृत किया जाये।

**टिप्पण:-** सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम जिल्द-1 के अध्याय XIX के नियम 313 में यथा उपबंधित कोई विशेष भत्ता उन व्यक्तियों को अनुज्ञेय नहीं है जो निम्नलिखित प्रवर्गों के भंडारों को संभालते हैं-

(क) इस रूप में कार्यालय प्रबन्ध के लिए अपेक्षित कार्यालय

फर्नीचर, लेखा सामग्री और अन्य वस्तुओं के अभिरक्षक, बशर्ते कि कार्यालयाध्यक्ष का भूषण, चोरी, गबन आदि से होने वाली हानि के प्रति समुचित सुरक्षा के बारे में समाधान हो जाये।

(ख) पुस्तकालयाध्यक्ष या पुस्तकालय के कर्मचारी।

[संख्या एफ.12(6)संसद/2008]

राज्यपाल के आदेश से,

एस.एस. कोठारी,  
प्रमुख शासन सचिव।

### Parliamentary Affairs Department

### NOTIFICATION

Jaipur, June 4, 2009

**G.S.R. 12.**-In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 187 of the Constitution of India, the Governor, after consultation with the Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly, is pleased to make the following rules, prescribing revised pay scales and principles governing fixation of pay in the revised pay scales for the members of Staff of the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat, namely:-

### THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

#### STAFF (REVISED PAY) RULES, 2009

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat Staff (Revised Pay) Rules, 2009.  
(2) They shall be deemed to have come into force on and from the 1<sup>st</sup> day of September, 2006.
2. **Application.**- These rules shall apply to persons appointed to the Secretariat Staff of the Rajasthan Legislative Assembly, but shall not apply to -  
(a) person not in whole-time employment;

- (b) person paid out of contingencies;
- (c) person employed on contract;
- (d) Government servant who after his retirement, whether on attaining the age of superannuation or otherwise, was re-employed and was in service on or after 1-9-2006;
- (e) person employed on work charged basis; and
- (f) person who may be specifically excluded wholly or in part by the Governor from the operation of these rules.

3. **Relaxation of rules.**-Where the Governor is satisfied that the operation of any of these rules causes undue hardship in any particular case, he may after consultation with the Speaker, relax the requirement of that rule to such extent and subject to such conditions as he may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.
4. **Interpretation.**-If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be decided by the Speaker in consultation with the Government in the Finance Department.
5. **Definitions.**- In these rules, unless context otherwise requires,-
- (i) “**Basic Pay**” means sum of pay in the running pay band and grade pay but does not include any other type of pay like Special Pay, etc.;
  - (ii) “**Existing Basic Pay**” means pay drawn in the existing pay scale but does not include any other type of pay like Special Pay, etc.;
  - (iii) “**Existing pay scale**” means scale of pay applicable to a Government servant but for coming into effect

of these rules, in respect of a post held by him immediately before 1<sup>st</sup> September, 2006 substantively or in officiating capacity while retaining lien on a permanent post or in a temporary capacity.

**Explanation:-**(a) In case of a Government servant, who is on deputation out of India or on leave or on foreign service or one who would have officiated in one or more lower posts but for his officiating in a higher post, "Existing pay scale" includes the scale applicable to the post which he would have held but for his being on deputation out of India or on leave or on foreign service or officiation in a higher post.

(b) In case of a Government servant drawing pay on 31-08-2006 in a scale other than the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat Staff (Revised Pay Scales) Rules, 1998, as amended from time to time, his fixation of pay in these Rules shall be made only after his pay has first been fixed in the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat Staff (Revised Pay Scale ) Rules, 1998, as amended from time to time, in respect of post held by him on 31-08-2006;

(iv) "Existing Government Servant" means a Government servant who is in service on 1<sup>st</sup> September, 2006 and drawing pay in an existing pay scale.

**Explanation** – Government servant, who was appointed on or after 01-09-2006 in the pay scale

under these rules is not existing Government servant. He shall draw pay in the Running pay band and Grade pay applicable to his post under these Rules. The fixation tables given in Schedule-III appended to Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008, as adopted under rule 10 of these rules, shall not apply to them. Government servant who was appointed on or after 01-09-2006, shall be fixed at the minimum of the Running Pay Band plus grade pay only after successful completion of the probation period as per provisions of relevant service rules.

- (v) **“Finance Department”** means the Finance Department of the Government of Rajasthan;
- (vi) **“Grade Pay”** means the grade pay specified in Col. 6 of Section “A” of Schedule-I;
- (vii) **“Pay in the Running Pay Band”** means and includes, the pre-revised emoluments as defined in clause (viii) rounded off to next multiple of 10;,
- (viii) **“Pre-revised emoluments”** means and includes -
  - (a) Basic Pay as on 1<sup>st</sup> day of September, 2006 in the existing pay scale,
  - (b) Personal pay, if any but excluding Personal pay granted under Rule 26B of Rajasthan Service Rules where a Government servant is in receipt of such personal pay on 01-09-2006 with existing pay scale,

- (c) 50% Dearness Pay of Basic Pay at the rates in force on 01-09-2006 sanctioned vide order No. F.6(3) FD.(Rules)/ 2004 dated 24/05/2004, and
- (d) 24% Dearness Allowance on Basic Pay plus Dearness Pay.

**Note:** Where normal date of increment in existing pay scale fails on 01-09-2006, the pay in the running pay bands and grade pay shall be fixed on the basis of pay admissible in the existing pay scale on 01-09-2006 including increment.

- (ix) **“Regular Service”** means service rendered by a Government servant after regular selection in accordance with the provisions contained in the relevant recruitment rules for that post. The period of service rendered on ad-hoc basis/urgent temporary basis shall not be counted as the regular service;
- (x) **“Revised Emoluments”** means the pay in the pay band plus grade pay of a Government servant;
- (xi) **“Running Pay Band”** means the pay band specified in Col. 4 of Section “A” of Schedule-I.
- (xii) **“Schedule”** means the schedule appended to these rules; and
- (xiii) **“Speaker”** means the Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly.

**6. Scale of pay of Post.**-(1) As from the commencement of these rules, the Running Pay Bands and Grade Pay for every post, service/ cadre shall be as indicated in Col. 5 and 7 respectively of Section ‘B’ of Schedule-I.

(2) Running Pay Band and Grade Pay for the Existing Government servant drawing pay in Selection Grades granted under Finance Department Order No. F.16(2)F.D.(Rules)/98 dated 17-02-1998 as amended from time to time and for the Government servant drawing pay in the personal pay scales, shall be the corresponding Running Pay Band and Grade Pays, as indicated in Col. 4 and 6 respectively against the existing pay scale in Col. 2 of section 'A' of the Schedule-I appended to these rules:

Provided that the pay of Existing Government servant drawing pay in the existing pay scale of 8000-13500 as selection grade, shall be fixed in the running pay band PB-2 '9300-34800' and Grade Pay of Rs. 5400/-.

**7. Drawal of Pay in the Running Pay Bands and Grade Pays.**-(1) Save as otherwise provided in these rules, a Government servant shall draw pay in the Running Pay Band and Grade Pay applicable to the post which he is holding as on 01-09-2006 or to which he is appointed on or after 01-09-2006.

(2) In respect of any service/cadre or class of posts for which no rules regulating recruitment and conditions of service have been framed under Clause (3) to Article 187 of the Constitution or where a post/posts have not been included in the Schedule appended to the rules regulating recruitment and conditions of service, the academic qualifications and experience as prescribed by or with the concurrence of the Finance Department from time to time shall continue to be operative and shall be deemed to have been made applicable to such service/cadre or class of posts in Running Pay Band and Grade Pay w.e.f. 01-09-2006.

**8. Special Pay.**- Special Pay, as admissible in Schedule-II of Rajasthan Legislative Assembly Secretarial Staff (Revised Pay Scales) Rules 1998, has been converted into Special Allowance

and as such it shall not be admissible with the pay in the Running Pay Bands and Grade Pay for any post.

**9. Special Allowance.-** Rates of Special Allowance, which shall be drawn with the Running Pay Bands and Grade Pay, are given in Schedule-II appended to these rules.

**10. Application of the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008.-** Rules relating to option to elect the existing pay scale, exercise of option, fixation of initial pay of Existing Government servant in the running pay band and grade pay, rate of increment in the running pay band, date of next increment in the running pay band, fixation of pay in case of stagnation at maximum of running pay band for more than a period of one year, removal of anomalies; Dearness Allowance, House Rent Allowance and all allowances, facilities, pension, etc., facilities like Government housing, etc., Scheme of Assured Career Progression (ACP), Scheme of Assured Career Progression (ACP) for State Service Officer, Amount of fixed remuneration for a Probationer-trainee, Fixation of pay in the running pay band of a Probationer-trainee completing probation period successfully on or after 01-09-2006; fixation of pay in the running pay band subsequent to the 1<sup>st</sup> day of September 2006, Fixation of pay on promotion on or after 01-09-06, and Non-accrual of arrears respectively contained in rule 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, and 26 of the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008, as amended from time to time, shall *mutatis mutandis* apply to the Secretariat Staff of the Rajasthan Legislative Assembly.

**11. Overriding effects of rules.-** Provisions of the Rajasthan Service Rules, the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat Staff (Revised pay scales) Rules, 1998 and Finance Department

order No F.16 (2) F.D.(Rules)/ 98 dated 17-02-1998, as amended from time to time, regarding grant of selection grades shall not, save as otherwise provided in these rules, apply to cases where pay is regulated under these rules, to the extent they are inconsistent with these rules.

**Schedule-I**  
**(Rule No- 6)**

**Section A**

**Running Pay Bands and Grade Pays**

Existing Pay Scale Number	Existing Pay Scale	Pay Band	Running Pay Band	Grade Pay No.	Grade Pay
1	2	3	4	5	6
1	2550-55-2660-60-3200	-IS	4750-7440	1	1300
2	2610-60-3150-65-3540	-IS	4750-7440	2	1400
3	2650-65-3300-70-4000	-IS	4750-7440	3	1650
4	2750-70-3800-75-4400	PB-1	5200-20200	4	1800
5	2950-75-4075-80-4475	PB-1	5200-20200	5	1850
6	3050-75-3950-80-4590	PB-1	5200-20200	6	1900
7	3200-85-4900	PB-1	5200-20200	7	2000
8	3400-90-5200	PB-1	5200-20200	8	2100
9	4000-100-6000	PB-1	5200-20200	9	2400
9A	4500-125-7000	PB-1	5200-20200	10	2800
10	5000-150-8000	PB-2	9300-34800	11	3200
11	5500-175-9000	PB-2	9300-34800	12	3600
12	6500-200-10500	PB-2	9300-34800	13	4200
12A	7500-250-12000	PB-2	9300-34800	14	4800
13	8000-275-13500	PB-2	9300-34800	15	5400
13 NEW	8000-275-13500	PB-3	15600-39100	15	5400
14	9000-300-14400	PB-3	15600-39100	16	6000
15	10000-325-15200	PB-3	15600-39100	17	6600
16	10650-325-15850	PB-3	15600-39100	18	6800
17	11300-350-16200	PB-3	15600-39100	19	7200
18	12000-375-16500	PB-3	15600-39100	20	7600
19	13500-400-17500	PB-3	15600-39100	21	8200
20	14300-400-18300	PB-4	37400-67000	22	8700
21	16400-450-20000	PB-4	37400-67000	23	8900
22	18400-500-22400	PB-4	37400-67000	24	10000

**Section B**  
**(Rule No. 6)**

**Running Pay Bands and Grade Pays of the posts**

S. NO.	NAME OF THE POST	EXISTING PAY SCALE	PAY BAND	RUNNING PAY BAND	GRADE PAY NO.	GRADE PAY	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deputy secretary	12000-16500	PB-3	15600-39100	20	7600	
2	Editor of Debates Printing	11300-16200	PB-3	15600-39100	19	7200	
3	Marshal	11300-16200	PB-3	15600-39100	19	7200	
4	Sr. P.S. to Hon'ble Speaker	11300-16200	PB-3	15600-39100	19	7200	
5	Assistant Secretary	10000-15200	PB-3	15600-39100	17	6600	
6	Vidhi Rachana Adhikari	10000-15200	PB-3	15600-39100	17	6600	
7	Private Secretary to Secretary	10000-15200	PB-3	15600-39100	17	6600	
8	Assistant Editor	9000-14400	PB-3	15600-39100	17	6600	
9	Senior Reporter	9000-14400	PB-3	15600-39100	16	6000	
10	Research & Reference Officer	9000-14400	PB-3	15600-39100	16	6000	
11	Executive Officer	8000-13500	PB-3	15600-39100	15	5400	
12	Library Officer	8000-13500	PB-3	15600-39100	15	5400	
13	Section Officer	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
14	Assistant Research & Reference Officer	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
15	Senior Personal Assistant	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
16	Varistha Vidhi Rachanakar	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
17	Reporter	6500-10500	PB-2	9300-34800	13	4200	
18	Assistant	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	
19	Dy. Librarian	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	
20	Personal Assistant	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	The post of existing Stenographer shall be merged into the post of Personal Assistant
21	Stenographer	5500-9000	PB-2	9300-34800	12	3600	
22	Stenographer		PB-2	9300-34800	11	3200	For new recruits
23	Research Assistant	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	

1	2	3	4	5	6	7	8
24	Library Assistant	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
25	Translator	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
26	Photographer	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
27	Air Conditioning Plant Mechanic	5000-8000	PB-2	9300-34800	11	3200	
28	Upper Division Clerk	4000-6000	PB-1	5200-20200	09	2400	
29	Lower Division Clerk/Proof Reader/Telephone operator/ Teleprinter Operator	3050-4590	PB-1	5200-20200	06	1900	
30	Security Guard (Only for Ex-servicemen)	3050-4590	PB-1	5200-20200	06	1900	
31	Driver	3050-4590	PB-1	5200-20200	06	1900	
32	Photo copier	2950-4475	PB-1	5200-20200	05	1850	
33	Lift Mechanic	2950-4475	PB-1	5200-20200	05	1850	
34	Guard	2750-4400	PB-1	5200-20200	04	1800	
35	Machine Man	2650-4000	IS	4750-7440	03	1650	
36	Air Conditioning Plant Helper	2650-4000	IS	4750-7440	03	1650	
37	Lift man	2650-4000	IS	4750-7440	03	1650	
38	Jamadar	2610-3540	IS	4750-7440	02	1400	
39	Record Lifter	2610-3540	IS	4750-7440	02	1400	
40	Library Boy	2610-3540	IS	4750-7440	02	1400	
41	Daftari	2610-3540	IS	4750-7440	02	1400	
42	Peon & other equivalent posts in existing pay scale No.1	2550-3200	IS	4750-7440	01	1300	

**Schedule-II****(Rule-9)****SPECIAL ALLOWANCE**

S. No.	Name of post	Rate of Special Allowance in Rs. per month	Remark
1	2	3	4
1.	Posts in Grade Pay No.1 to 5	80	The grant of Special Allowance shall be subject to

1	2	3	4
2.	Posts in Grade Pay No.6 & 8	100	<p>the following conditions:-</p> <p>1. Special Allowance shall be admissible with reference to the grade pay of the post held by the respective Government servant &amp; not with reference to the ACP in which he may be drawing pay.</p> <p>2. The Special Allowance would not be admissible to the persons appointed on direct recruitment basis on initial entry post of the service on urgent temporary/ad-hoc basis.</p> <p>3. The Special Allowance admissible, if any, under heading 'General' shall be in addition to the Special Allowance admissible under this heading.</p> <p>4. Special Allowance available to officers/officials borne on the cadre of this office would be admissible to them during the period of deputation to Government departments in cadre or ex-cadre posts and also during the period of re-employment. Provided that the Special Allowance shall not be paid for the period of</p>
3.	Posts in Grade Pay No.9 & 10	120	
4.	Posts in Grade Pay No.11 & 12	150	
5.	Posts in Grade Pay No.13 & 14	175	
6.	Posts in Grade Pay No.15 & 16	190	
7.	Posts in Grade Pay No.17 & 19	340	
8.	Posts in Grade Pay No.20	525	

1	2	3	4
			deputation to other Governments/ Government departments or foreign service when deputation allowance or higher pay is paid.

Special Allowance to employees posted in the Offices of the Hon'ble Speaker/Hon'ble Deputy Speaker/Leader of Opposition/  
Government Chief Whip/Deputy Government Chief Whip in the  
Assembly Secretariat.

S. No.	Name of Post	Rate of Special Allowance in Rs. per month	Remark
1	2	3	4
1.	Class IV employees including cycle sawar/ Jamadar posted in the Offices of the Speaker/ Deputy Speaker/Government Chief Whip/ Leader of Opposition /Deputy Government Chief Whip.	85	This Special Allowance shall be in the lieu of common Special Allowance.
2.	Assistant/UDC/LDC posted in the Offices of the Speaker/Deputy Speaker/ Government Chief Whip/Leader of Opposition/ Deputy Government Chief Whip.	150	
3.	LDC/UDC/Assistant/Stenographer/Personal Assistant working as P.A. to Speaker.	280	
4.	LDC/UDC/Assistant/Stenographer/Personal Assistant working as P.A. to Deputy Speaker/ Government Chief Whip/Leader of Opposition /Deputy Government Chief Whip.	265	
5.	Private Secretary to the Hon'ble Speaker in the grade of Deputy Secretary, Rajasthan Legislative Assembly.	525	

1	2	3	4
6.	Private Secretary to the Hon'ble Speaker/ Deputy Speaker/ Government Chief Whip/Leader of Opposition/ Deputy Government Chief Whip drawing pay in Senior Scale of RAS/RPS	415	
7.	Private Secretary to the Hon'ble Deputy Speaker/ Government Chief Whip/Leader of Opposition/ Deputy Government Chief Whip except those who are employed on fixed salary basis.	340	
8.	Private Secretary to the Hon'ble Speaker except those who are employed on fixed salary basis.	340	

### Special Allowance for special jobs in Assembly Secretariat

S.No.	Name of Post	Rate of Special Allowance in Rs. per month	Remark
1	2	3	4
1.	Any one class IV/Ministerial/Subordinate Service for operating majox/Photostat Machine/ Scanning machine in addition to duty of his own post	25/-	In addition to common Special Allowance.
2.	One Daftri for attending meetings held in Committee Room of R.L.A.	10/-	
3.	Employees handling cash/store on furnishing cash security or fidelity bond from Insurance Company as under:-  <b>(a) For cashier</b> Amount of average monthly cash handled during the preceding year. (i) up to Rs. 75,000/- (ii) over Rs. 75,000/- and up to Rs.2 lacs (iii) over Rs. 2 lacs and up to Rs.5 lacs (iv) over Rs. 5 lacs  <b>(b) For Storekeeper</b> Who handles stores of average monthly value of not less than Rs. 75,000/-. The average monthly value of stores is to be reckoned as per book value during the preceding year.	<b>Amount of Security</b>  20,000/- Rs. 50/- 25,000/- Rs. 75/- 35,000/- Rs.100/- 50,000/- Rs.125/-  20,000/- Rs. 50/-	

1	2	3	4
	<p>The grant of aforesaid special Allowance to the Cashier and Store Keeper shall be subject to the following conditions:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Head of the Department should certify on the basis of the previous financial year's average the amount of cash handled/stores handled as the case may be, and sanction the rate of Special Allowance appropriate to that quantum. The average amount of cash handled should be arrived at by taking the total amount shown as disbursed in the cashbook reduced by the items disbursed in the form of cheques/ drafts etc. All transactions made through bank should be omitted. The average monthly value of stores handled should be verified on the basis of book value of the previous financial year.</li> <li>2. Every official who is appointed as Cashier/Store Keeper, unless he is exempted by a competent authority should invariably furnish security in accordance with provisions contained in Chapter XIX of General Financial and Accounts Rules Volume-I and Orders issued thereunder from time to time.</li> <li>3. The Special Allowance is to be granted from the date of issue of orders of appointment as Cashier/Store Keeper or from the date of furnishing security, whichever is later. In case any modification in the existing fidelity bond is required the Special Allowance at revised rates shall be sanctioned from the date of furnishing the additional security.</li> <li>4. Not more than one official should be allowed the Special Allowance as Cashier/Store Keeper in an office/department.</li> <li>5. Sanction for grant of Special Allowance should invariably be issued in the name of the person who is appointed to do the work of Cashier/ Store Keeper and for whom the Special Allowance is sanctioned.</li> </ol> <p><b>Note:-</b></p> <p>As provided in rule 313 of chapter XIX of General Financial and Accounts Rules Volume I, no Special Allowance is admissible to the those handling following category of stores:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) The custodians of office furniture, stationery and other articles required for office management as such, provided the Head of the Office is satisfied about proper safeguards against loss through pilferage, theft, defalcation, etc.</li> <li>(b) The Librarians or the Library Staff.</li> </ol>		

[No. F.12(6)Sansad/2008]

**By Order of the Governor,**

एस.एस. कोठारी,

**Principal Secretary to the Government.**